

Smt
28/10/16

संख्या-2884/111(2)/16-42(एम०एल०ए०)/2016टी०सी०-१

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्राप्तिकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रका०, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 20.00 किमी० + 03 सेतु तथा लागत ₹ 211.74 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 211.74 लाख (₹० दो करोड़ ग्यारह लाख चौहत्तर हजार रुपये) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफिटिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सङ्को/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

CAO
२८/१०/१६
(५५०-१)

देहरादून : दिनांक २८ अक्टूबर, 2016

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीषक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-656(A)/XXVII(2)/2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-२८८५ ||| (2)/16-42(एम०एल०ए०)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स विल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पिथौरागढ़।
4. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, वृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव)

संख्या— २८४/ ११(२)/ १६-४२(एम०एल०ए०) / २०१६टी०सी०-१ दिनांक २६ अक्टूबर, २०१६ का संलग्नक।
 (धनराशि लाख ₹ में)

| क्र० सं० | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी० मे०) | विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि। |
|----------|---|------------------------|---|---|
| 1 | जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में नपलच्चू से सैंगाकॉग होते हुये नावि तक मोटर मार्ग एवं ०३ सेतुओं का निर्माण (प्रथम चरण) | 5.00+ 03 Bridge | 51.05 | 0.10 |
| 2 | जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में चिफलतरा से बोरागांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) | 3.00 | 35.29 | 0.10 |
| 3 | जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला में मैतली से भरपटा, देवलीखेत, खेतीखान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) | 10.00 | 117.64 | 0.10 |
| 4 | जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में ग्रामपंचायत तांकुल के लिये मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) | 2.00 | 7.76 | 0.10 |
| कुल | | 20.00+ 03 bridge | 211.74 | 0.40 |

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| 1: लेखा शीर्षक | 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 04 - जिला तथा अन्य सड़के |
| | 800 - अन्य व्यय | |
| | 03 - राज्य सेक्टर | |
| | 02 - ज्ञया निर्माण कार्य | |


Plan Voted

| मानक मट का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|-------------------------|----------------|------------------|---------|
| 24 - बहुत निर्माण कार्य | 7380000 | 40000 | 7420000 |
| | 7380000 | 40000 | 7420000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

40000

(अर्थात् सिंह पांगती)
 चप संधिय, लोक निर्माण विभाग
 उत्तराखण्ड शासन।



Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग



"नियोजन-।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>E-mail: eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक- ७६५ /२० यातांक' /२०१६

दिनांक-(7.11.2016)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- 2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- 3. अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।
- 4. अधिशासी अभिन्यता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

Page 1 of 1

१०/११/२०१६
 प्रधानमंत्री अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अधिकारी एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून